न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्यासीन:– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

वाद संख्या
[illegible] / 24

दायर दिनांक
27.09.2024

निर्णय दिनांक
5-3-2025

उनवान

1. अमरदीन पुत्र मंगल
2. इदरीश पुत्र मंगल जाति मेव नि0 रावका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती जेर दफा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति:– वादीगण की ओर से श्री सुन्दरसिंह जी वकील।
प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट तहसीलदार।

निर्णय

वादी के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 329 रकबा 0.4900हे0 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास में स्थित है जो आराजी प्रस्तुत दावा में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2075–2078 संलग्न वादपत्र है।

आराजी खसरा संख्या 329 रकबा 0.4900हे0 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास में हम वादीगण 6/52 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा शेष आराजी अन्य सह खातेदारान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

आराजी खसरा नं0 329 रकबा 0.4900हे0 वाके गाम रावका तहसील किशनगढबास के राजस्व रिकार्ड मे हम वादीगण जो 3/52–3/52 भाग के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड हमारे नाम के आगे खातेदार के बाद अ0वि0व0 बकाश्त रामजीलाल पुत्र हबडू, पूरण पुत्र परताब, किशन पुत्र बस्सू, मामन पुत्र कल्लन, सुब्बन पुत्र नत्थू, भोंदू पुत्र छोटा मेव सा0 देह शिकमी साल 12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनकी वास्तविक जाति मेघवाल है जो अब उक्त ग्राम मे ना तो निवास करते है ना ही उनका अता पता है। ग्राम रावका मे नहीं रहते है।

बकाश्त रामजीलाल पुत्र हबडू, पूरण पुत्र परताब, किशन पुत्र बस्सू, मामन पुत्र कल्लन, सुब्बन पुत्र नत्थू, भोंदू पुत्र छोटा मेव सा0 देह शिकमी साल 12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनका उक्त आराजी से कोई किसी प्रकार का लेना देना संबंध वो सरोकार नहीं है गलत रूप से अ0वि0व0 बकाश्त रामजीलाल पुत्र हबडू, पूरण पुत्र परताब, किशन पुत्र बस्सू, मामन पुत्र कल्लन, सुब्बन पुत्र नत्थू, भोंदू पुत्र छोटा मेव सा0 देह शिकमी साल 12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून चला आ रहा है जिसे हजफ कर हटाया जावे जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में बकाश्त व शिकमी दर्ज होने के कारण हम वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वर्तमान में बकाश्त व शिकमी कानूनन कोई अधिकार भी नहीं रखते है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में जो अंकन राहिन बकाश्त व शिकमी का हो रहा है उस अंकन को हजफ कर हटाया जावे, जिसके लिये इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरुस्ती करना लाजिम आया है।

हम वादीगण द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार लैण्ड होल्डर से अनेको बार हमारे नाम के आगे से बकाश्त व शिकमी हटवाने बाबत् निवेदन कर चुके है पहले तो प्रतिवादी तहसीलदार बकाश्त व शिकमी हटाने बाबत् कहता रहा लेकिन अब दिनांक 09.09.2024 को बकाश्त हटाने से साफ इंकार कर दिया तथा श्रीमान से आदेश लाने बाबत् कहा जिस पर अविलम्ब ही वादपत्र दायर करना लाजिम आया है। जो दावा हाजा के बिनायदावी व बिनायमुखासमत है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण असल निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:–

अ– डिक्री इस्तकरारहक वो इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा नं0 329 रकबा 0.4900हे0 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास के हम वादीगण के 5/52 हिस्से के आगे जो गलत अंकन अ0वि0व0 बकाश्त रामजीलाल पुत्र हबडू, पूरण पुत्र सत्तार, किशन पुत्र बस्सू, मामन पुत्र कल्लन, सुब्बन पुत्र नत्थू, भोंदू पुत्र छोटा मेव सा0 रावका शिकमी साल 12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उसे हजफ कर हटाया जावे तथा वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहने दिया जावे।

ब– खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी असल से दिलाया जावे।

स– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट कब्जा काश्त ली जाकर पत्र के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रेषित की गई। कि विवादित आराजी पर वादीगण की कब्जा काश्त है तथा जो अंकन रामजीलाल वगै0 की बकाश्त व शिकमी कब्जा काश्त नही है। जवाब एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश किये गये।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पीडब्लू–1 अमरदीन पुत्र मंगल जाति मेव निवासी रावका, पीडब्लू–2 मुबीन खान पुत्र अमरदीन, पीडब्लू–3 इदरीश खान पुत्र श्री मंगल जाति मेव पेश किये है। दस्तावेज प्रदर्श कराये। साक्ष्य कलमबद्ध की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सं0 2076 से 2078 के अनुसार वादीगण खातेदार है तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त रिपोर्ट कब्जा काश्त एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मौका रिपोर्ट में वादीगण की ही कब्जा काश्त का अंकन किया है एवं जो अंकन अ0 वि0व0 बकाश्त शिकमी हो रहा है उनकी कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण द्वारा पेश गवाहान ने भी विवादित आराजी पर वादीगण की कब्जा काश्त होने का कथन किया है। जिससे यह तथ्य तो साबित होता है कि विवादित आराजी पर जो अंकन बकाश्त शिकमी का हो रहा है उनका विवादित आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नहीं है, जिसका नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।
अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 329 रकबा 0.4900हे0 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास में वादीगण के 6/52 हिस्से के आगे जो गलत अंकन अ0वि0व0 बकाश्त रामजीलाल पुत्र हबड़ू, पूरण पुत्र परसाद, किशन पुत्र बस्सू, मामन पुत्र कल्लन, सुब्बन पुत्र नत्थू, भोंदू पुत्र छोटा मेव सा0 देह शिकमी साल 12 दर्ज हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

...यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशित:– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

...वा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
...94 / 24	27.09.2024	5-3-2025

<u>उनवान</u>

... अमरदीन पुत्र मंगल

... इदरीश पुत्र मंगल जाति मेव नि0 रावका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा।

:–वादीगण

बनाम

... राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती जेर दफा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

...उपस्थिति:– वादीगण की ओर से श्री सुन्दरसिंह जी वकील।
प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट तहसीलदार।

पर्चा डिकी

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है कि विवादित ...राजी खा0नं0 329 रकबा 0.4900है0 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास में वादीगण ...6/52 हिस्से के आगे जो गलत अंकन अ0वि0व0 बकाश्त रामजीलाल पुत्र हबडू, पूरण ... फत्ताब, किशन पुत्र बस्सू, मामन पुत्र कल्लन, सुब्बन पुत्र नत्थू, भोंदू पुत्र छोटा मेव सा0 ... शिकमी साल 12 दर्ज हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। ...नानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख ...गार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner